


सूचना


कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत


1. श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम ,निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक.30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50 (रैयती) खाता सं. 46, 1 एवं 86 के अधीन प्लॉट सं. 52, 568, 771, 770, 609, 776, 232 एवं 189 , कुल रकबा 2.45 एकड़ भूमि के अधिग्रहण एवं जिला के राजस्व विभाग के सक्षम पदाधिकारी के सत्यापन के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है ।
 - क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 46, प्लॉट न. 776, जिसका खरीदगी रकवा 0.0975 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2542 दिनांक 26.7.2016 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा सिद्धेश्वर नाथ सिंह पिता स्व. नागेश्वर सिंह, संतोष कुमार सिंह पिता सिद्धेश्वर नाथ सिंह से खरीदगी की गयी थी, जिसका खतियानी रैयत मोहर गंडु पिता सुधू गंडु है।
 - ख. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 46, प्लॉट न. 609 जिसका खरीदगी रकवा 0.08 एकड़ है जिसे केवाला सं. 4876 दिनांक 09.10.2014 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा नविन कुमार सिंह पिता रामलखन सिंह, से खरीदगी की गयी थी, जिसका खतियानी रैयत मोहर गंडु पिता सुधू गंडु है।
 - ग. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 46, प्लॉट न. 776 जिसका खरीदगी रकवा 0.095 एकड़ है जिसे केवाला सं. 5438 दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा नविन कुमार पिता रामलखन सिंह, से खरीदगी की गयी थी , जिसका खतियानी रैयत मोहर गंडु पिता सुधू गंडु है।
 - घ. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 46, प्लॉट न. 52, 568, 771, 609 एवं 770 जिसका खरीदगी रकवा क्रमश 0.71, 0.64, 0.21, 0.09 एवं 0.02 एकड़, कुल खरीदगी रकवा 1.67 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2691 दिनांक 09.8.2016 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा विनेश सिंह पिता स्व हरिहर सिंह पिता रामलखन सिंह, संतोष कुमार सिंह पिता सिद्धेश्वर नाथ सिंह, विजय कुमार सिंह पिता स्वरामप्रताप सिंह एवं नविन कुमार पिता रामलखन सिंह से खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत मोहर गंडु पिता सुधू गंडु है।
 - च. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 1(बकास्त खाता) एवं 46, प्लॉट न. 232 एवं 776 जिसका खरीदगी रकवा क्रमश 0.24 एवं 0.0975 एकड़, कुल खरीदगी रकवा 0.3375 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2574 दिनांक 28.7.2016 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा विनेश सिंह पिता स्व हरिहर सिंह पिता रामलखन सिंह, विजय कुमार सिंह पिता स्व. रामप्रताप सिंह से खरीदगी की गयी थी ।
 - छ. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 86, प्लॉट न. 189, जिसका खरीदगी रकवा 0.17 एकड़ है जिसे केवाला सं. 4097 दिनांक 16. 12. 2016 के माध्यम से श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम के द्वारा गौतम सिंह पिता स्व. तुलसी सिंह से खरीदगी की गयी थी । यह बकास्त खाते की भूमि है।
2. श्री उमेश प्रसाद यादव पिता स्व. यमुना प्रसाद यादव निवासी ग्राम: होन्हे, थाना: टंडवा ,जिला: चतरा (झारखण्ड) को कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 SO No. 2832 E दिनांक 30.8.2017 के तहत ग्राम: होन्हे, थाना सं: 50, (रैयती) खाता सं. 46 के अधीन प्लॉट सं. 52,568,771,609 एवं 770 , कुल रकबा 1.67 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में मुआवजा का एक प्रस्ताव कि प्रक्रिया की गयी है।
 - क. ऊपर उल्लेखित खाता सं. 46 प्लॉट न. 52, 568, 771, 609 एवं 770, कुल रकबा 1.67 एकड़ है जिसे केवाला सं. 2692 दिनांक 09.8.2016 के माध्यम से श्री उमेश प्रसाद यादव पिता स्व. यमुना प्रसाद यादव के द्वारा विनेश सिंह पिता स्व. हरिहर सिंह, संतोष कुमार सिंह पिता सिद्धेश्वर नाथ सिंह, विजय कुमार सिंह पिता स्व. रामप्रताप सिंह एवं नविन कुमार पिता रामलखन सिंह से खरीदगी की गयी थी जिसका खतियानी रैयत मोहर गंडु पिता सुधू गंडु है।

अगर उक्त मुआवजा पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में विभागाध्यक्ष / महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर इस सूचना से संबन्धित कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: होन्हे , थाना सं: 50, जिला :- चतरा, खाता सं. 46, 1 एवं 86 के अधीन प्लॉट सं. 52, 568, 771, 770, 609, 776, 232 एवं 189, कुल रकबा 2.45 एकड़ एकड़ रैयती भूमि, एवं जो श्री संजय कुमार पिता स्व. अमृत राम एवं खाता सं. 46 के अधीन प्लॉट सं. 52, 568, 771, 609 एवं 770 , कुल रकबा 1.67 एकड़ श्री उमेश प्रसाद यादव पिता स्व. यमुना प्रसाद यादव , जिसे कोयला धारक अधिनियम (अर्जन एवं विकास), 1957 के अन्तर्गत अधिग्रहित किया गया है के भूमि-मुआवजा प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।


07/11/2022


07/11/22


07/11/22